कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शिवपुरी (म.प्र.)

क्रमांक/आरडीएम/2020/1243 शिवपुरी दिनांक 22.03.2020

-:: आदेश ::-

नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण एवं इससे आवश्यक बचाव के उपाय किये जाने हेतु शिवपुरी जिले की आम जनता की सुविधा, सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मै अनुग्रहा. पी कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शिवपुरी में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के तहत पूर्व में इस कार्यालय से जारी आदेश क्रमांक आरडीएम/2020/241 दिनांक 21.03.2020 के बिन्दुओं के साथ-साथ निम्नानुसार बिन्दू जोडे जाते है :-

1- जिला परिवहन अधिकारी शिवपुरी अंतराज्य नाकों पर दूसरें राज्यों से आने वाले सभी बसों को 31.03.2020 तक जिले की सीमा में प्रवेश नही करने देंगे। इस हेतु सभी नाकों पर आवश्यक दल तैनात करें तथा पुलिस के सहयोग से आदेश का पालन करायेंगे।

2- जन सामान्य के हित एवं कोरोना वायरस के संक्रमण से जान माल को सुरक्षित रखने की दृष्टि से जिले की समस्त अशासकीय संस्थाएं/संस्थान दिनांक 22.03.2020 से 24.03.2020 रात्रि 09:00 बजे तक के लिए पूर्णत: बंद रहेंगी। इसके अतिरिक्त दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुऐं जैसे दवा, दूध, फल, स्वास्थ्य सेवाएं, विधुत, पेयजल, मोबाईल, लैंडलाईन दूरभाष, साफ-सफाई आदि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत खुले रहेंगें। साथ ही सब्जी मण्डी प्रात: 07:00 बजे से प्रात: 11:00 बजे तक के लिये खुली रहेंगी एवं सब्जी क्रय करते समय एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को 06 फिट की दूरी रखना अनिवार्य होगा। समयसीमा उपरांत पुलिस का सायरन बजते ही दुकाने बंद कर अपने-अपने घर जाना अनिवार्य होगा। इस दौरान समस्त बस सेवाओं/ सवारी वाहनों के संचालन को भी प्रतिबंधित किया जाता है तथा अंतरजिला में भी बसों का परिसंचालन दिनांक 22.03.2020 से 24.03.2020 रात्रि 09:00 बजे तक बंद रहेगा। साथ ही आदेशित किया जाता है कि कर्फ्यू के दौरान आमजन आवश्यक सामग्री (सब्जी) क्रय हेतु तय समयसीमा (प्रात: 07:00 बजे से प्रात: 11:00 बजे) के बाद दिनांक 24.03.2020 की रात्रि 09:00 बजे तक अपने घर से वाहर नही निकलेंगे।

3- सभी शासकीय कार्यालय खुले रहेंगे एवं शासकीय कर्मचारी मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल के ज्ञाप क्रमांक 38 (B)/ए.सी.एस/जीएडी/2020 भोपाल दिनांक 22.03.2020 के पालन में अपना शासकीय कार्य संपादित करेंगे, परंतु आम जनता का प्रवेश शासकीय कार्यालय में पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

4. कार्यपालन यंत्री म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. शिवपुरी को निर्देशित किया जाता है कि शासकीय /अशासकीय कार्यालयों, प्रतिष्ठानों, आम नागरिकों को के घर के विधुत कनेक्शन दिनांक 06.04.2020 तक नही काटे जावेंगे एवं विधुत प्रभाव सुचारू रूप से चालू रखी जावेगी।

5- समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी/नगर पंचायत/नगर परिषद जिला शिवपुरी को निर्देशित किया जाता है कि उनके द्वारा नल कनेकशन दिनांक 06.04.2020 तक नही काटे जाये, एवं नल सुचारू रूप से चालू रखेंगे।

Scanned by CamScanner

6- दूर संचार जिला प्रबंधक शिवपुरी को निर्देशित किया जाता है कि शासकीय/अशासकीय कार्यालयो, प्रतिष्ठानों, आम नागरिकों के घरों के टेलीफोन कनेक्शन दिनांक 06.04.2020 तक नही काटेंगे एवं दूरसंचार सेवायें निर्वाद रूप से चालू रखी जावेंगी।

7- कोरोना वायरस के संबंध में आम जनता से अपील है कि वह अनावश्यक रूप से व्हाटसअप/ट्विटर आदि सोशल मीडिया पर अपवाहों पर ध्यान न दें अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस विभाग नजर रखते हुये उन पर कडी कार्यवाही करेंगे। आम जनता भी पुलिस कन्ट्रोल रूम एवं सीएमएचओ द्वारा निर्मित कन्ट्रोल रूम में इसकी जानकारी दे सकते है।

8- यह आदेश शिवपुरी जन सामान्य के जान माल की सुरक्षा तथा भविष्य में लोक शांति भंग होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है लेकिन जिले में रह रहे प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिश: तामील कराया जाना संभव नही है। अत: सार्वजनिक माध्यमों, इलेक्ट्रोनिक मीडिया, समाचार-पत्रों के माध्यम से यह आदेश सर्व साधारण को अवगत कराया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक शिवपुरी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी/नगर पंचायत/नगर परिषदों को आदेशित किया जाता है कि वह उक्तादेश का प्रचार प्रसार विभागीय संसाधनों से कराना सुनिश्चित करें तथा संचालक जन संपर्क कार्यालय जिले से प्रकाशित सभी समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया में नि:शुल्क प्रमुखता से नि:शुल्क प्रकाशन/प्रसार कराना सुनिश्चित करें।

उक्तादेश दिनांक 06.04.2020 तक प्रभावी रहेगा। आदेश के उल्लंघन की दशा में भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 एवं अन्य दण्डात्मक प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।

(अनुग्रह.पी)
जिला मजिस्ट्रेट
Collector & Distt. Magistrate
Distt. Shivpuri (M.P.)
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

क्रमांक/आरडीएम/2020/243 शिवपुरी दिनांक 22.03.2020

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
3. प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग, म.प्र. मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
4. प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
5. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
6. रजिस्ट्रार माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर
7. आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर
8. जिला एवं सत्र न्यायालय शिवपुरी
9. पुलिस अधीक्षक शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु साथ ही इस आशय से प्रेषित कि अधिनस्थ थानों को तदाशय के संबंध में अपने स्तर से भी निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शिवपुरी
11. अपर कलेक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट शिवपुरी
12. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवपुरी
13. समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व) / तहसीलदार जिला शिवपुरी

Scanned by CamScanner

14. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस)/थाना प्रभारी जिला शिवपुरी
15. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शिवपुरी
16. सिविल सर्जन शिवपुरी
17. परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग शिवपुरी
18. जिला शिक्षा अधिकारी शिवपुरी
19. जिला आबकारी अधिकारी शिवपुरी
20. जिला परिवहन अधिकारी शिवपुरी
21. कार्यपालन यंत्री म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. शिवपुरी
22. दूरसंचार जिला प्रबंधक टेलीफोन एक्सचेंज शिवपुरी
23. निदेशक आकाशवाणी ग्वालियर की ओर आदेश का प्रसारण हेतु अग्रेषित।
24. प्रभारी अधिकारी एन.आई.सी. कलेक्टोरेट शिवपुरी की ओर जिला प्रशासन की वेवसाईड पर अपलोड बावत।
25. प्रभारी अधिकारी पुलिस कन्ट्रोल रूम शिवपुरी
26. संचालक जन संपर्क कार्यालय शिवपुरी की ओर प्रेषित कर लेख है कि जन सामान्य की जानकारी हेतुउक्तादेश इलेक्ट्रोनिक मीडिया एवं समाचार पत्रों में प्रमुखता से नि:शुल्क प्रकाशित करावें।

जिला मजिस्ट्रेट
Collector & Distt. Magistrate
Distt. Shivpuri (M.P.)
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

Scanned by CamScanner